भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1943
जिसका उत्तर बृहस्पतिवार 04 जनवरी, 2018 को दिया जाना है

पूंजीगत वस्तु नीति

1943. श्री दिलीप कुमार तिर्की:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूंजीगत वस्तु नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान पूंजीगत वस्तु क्षेत्र की औसत वृद्धि क्या रही है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): सरकार ने राष्ट्रीय केपिटल गुड्स नीति का शुभारंभ वर्ष 2016 में किया है। यह नीति कुल विनिर्माण क्रियाकलाप में केपिटल गुड्स के मौजूदा 12% योगदान को वर्ष 2025 तक बढ़ाकर 20% करने के विचार से तैयार की गई है। राष्ट्रीय केपिटल गुड्स नीति का उद्देश्य कुल उत्पादन और निर्यात स्तर में महत्वपूर्ण वृद्धि करते हुए भारत को विश्व के शीर्ष केपिटल गुड्स उत्पादक राष्ट्रों में से एक बनाना है।

राष्ट्रीय केपिटल गुड्स नीति की मुख्य संस्तुतियां निम्नवत हैं:

मेक इन इंडिया पहल: केपिटल गुड्स के प्रमुख सब-सेक्टरों जैसे कि मशीन टूल्स, वस्त्र मशीनरी, अर्थमूविंग, निर्माण एवं खनन मशीनरी, हेवी इलेक्ट्रिकल उपस्कर, प्लास्टिक मशीनरी, प्रक्रिया संयंत्र उपकरण आदि का संयोजन प्राथमिक सेक्टर के रूप में करने की परिकल्पना "मेक इन इंडिया" पहल में की गई है

भारत में निर्मित केपिटल गुड्स के निर्यात को बढ़ाने की दृष्टि से **"भारी उद्योग निर्यात एवं बाजार विकास सहायता स्कीम (एचआईईएमडीए)" के लिए प्रायोगिक रूप से एक समर्थकारी स्कीम का सृजन करना।** इसके लिए इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (आईबीईएफ) और इसके जैसे संगठनों की सहायता से केपिटल गुड्स सेक्टर के लिए एक व्यापक ब्रांडिंग योजना विकसित करने की आवश्यकता होगी।

वर्तमान केपिटल गुड्स स्कीम को सशक्त बनाना: इस नीति में बजटीय आबंटन और मौजूदा केपिटल गुड्स में प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि की स्कीम का दायरा बढ़ाने की सिफारिश की गई है जिसमें उत्कृष्टता केन्द्रों, साझा इंजीनियरी सुविधा केन्द्रों, एकीकृत औद्योगिक अवसंरचना पार्क की स्थापना तथा प्रौद्योगिकी अधिग्रहण निधि कार्यक्रम शामिल हैं।

प्रौद्योगिकी अधिग्रहण, प्रौद्योगिकी अंतरण, आईपीआर की खरीद, केपिटल गुड्स की ऐसी प्रौद्योगिकियों के लिए डिजाइन और आरेख के साथ-साथ इनके वाणिज्यिकरण के लिए पीपीपी मॉडल के तहत एक **प्रौद्योगिकी विकास निधि की शुरुआत करना।**

स्टार्ट अप की सुदृढ़ नींव की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए स्टार्ट अप्स की अवधारणा के पूर्व, अवधारणा के दौरान तथा अवधारणा के पश्चात् के चरणों पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ-साथ विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों में संभावना वाले स्टार्ट अप्स को तकनीकी, कारोबारी और वित्तीय सहायता, संसाधन और सेवाओं की एक श्रृंखला उपलब्ध कराने के लिए **'केपिटल गुड्स सेक्टर के लिए स्टार्ट अप केन्द्र का सृजन करना'** जो भारी उद्योग विभाग और केपिटल गुड्स उद्योग/उद्योग एसोसिएशन द्वारा 80:20 के अनुपात में सहभाजित होगा।

अनिवार्य मानकीकरण को सुनिश्चित करना, जिसमें अन्य के साथ-साथ, उद्योग के लिए न्यूनतम स्वीकार्य मानकों को परिभाषित करना और अन्य मानकों के न होने की स्थिति में अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) के मानकों को अंगीकार करना शामिल है। मानकों के संवर्धन और उनको तैयार करने के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (बीआईएस), अंतरराष्ट्रीय मानक निकायों, परीक्षण/अनुसंधान संस्थानों और संबंधित उद्योग/उद्योग एसोसिएशनों सहित मानक विकास संगठनों (एसडीओ) के साथ औपचारिक विकास कार्यक्रम बनाना।

विकास, परीक्षण और प्रमाणन अवसंरचना का उन्नयन करना जैसे कि केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई), और सीएमटीआई जैसे 10 और संस्थानों की स्थापना करना ताकि केपिटल गुड्स के सभी सब-सेक्टरों की आवश्यकताएं पूरी की जा सके।

कौशल विकास का संवर्धन: केपिटल गुड्स कौशल विकास परिषद के साथ व्यापक कौशल विकास योजना/स्कीम विकसित करना तथा केपिटल गुड्स सेक्टर के कौशल विकास के लिए पांच क्षेत्रीय अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना करना।

विशेषकर केपिटल गुड्स के विनिर्माणकारी लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए **क्लस्टर दृष्टिकोण के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु स्कीमों की व्यवस्था करना**। प्रतिस्पर्धात्मकता के महत्वपूर्ण संघटकों जैसे कि गुणवत्ता प्रबंधन, संयंत्र अनुरक्षण प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, लागत प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन और निवारक अनुरक्षण पर बल दिया जाएगा जिसमें सरकार की ओर से लागत की 80% की सीमा तक सहायता उपलब्ध होगी।

केपिटल गुड्स के सभी सब-सेक्टरों में **इकाइयों विशेषकर लघु एवं मध्यम उद्यमों का आधुनिकीकरण करना।** गुणवत्ता उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत सब्सिडी पर आधारित स्कीम सृजित करने की आवश्यकता है।

(ख): विगत तीन वर्षों के दौरान पूंजीगत वस्तु क्षेत्र की वृद्धि निम्नानुसार है:-

वृद्धि प्रतिशतता	2014-15	2015-16	2016-17
	6.3%	2.1%	3.1%

****